कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिशा–निर्देश

कृपया सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना विकास,सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि0यो0) के अन्तर्गत शासन के शासनादेश संख्याः 45/2017/683/सैतीस–2–2017–1(43) /02 दिनांक 14 जून,2017 द्वारा विभिन्न मानक मदों में धनरशि रू0–40.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः618/बजट/29(5)/अनु0–83/11/2017–18 दिनांक 27–6–2017 द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त आवंटित धनराशि रू0–40.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये आवंटित धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें:–

1– शासनादेश दिनांक 14 जून,2017 के सापेक्ष वित नियंत्रक,पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांक 27–6–2017 द्वारा दिये निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाये।

2– योजना में आवंटित धनराशि का व्यय योजना में उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा अधिक व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।

3– विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही दवाओं/उपकरणों/सामग्री एवं फर्नीचर आदि का क्रय किया जाये। अनुमोदित सूची के बाहर से क्रय करने हेतु गठित विषय विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4– आवंटित धनराशि का व्यय योजना के निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही किया जाये।

5– योजना के मानक मदों–40,42 एवं 43 में स्वीकृत धनराशि का व्यय जिला उद्योग केन्द्र अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो के माध्यम से ही क्रय करते हुये किया जायेगा।

6– फर्म का विगत वर्ष तक का आयकर रिर्टन जमा होना चाहिए।

7– व्यापार कर विभाग से विगत वर्ष का अदेयता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।

8– किसी भी पंजीकृत फर्म के पास इन दोनों प्रमाण–पत्र न होने की दशा में क्रय आदेश कदापि न निर्गत किये जाये।

9– योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक ई–टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित नही किये जायेगें।

10– मानक मद–43 साम्रगी और सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि से प्रक्षेत्र पर ब्रीडिंग स्टाक पूर्ण करने हेतु पशुओं का क्रय एवं/अथवा राशन आदि का क्रय किया जायेगा।

11– प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध मादा सूकरों में "इनब्रीडिंग" से बचने हेतु अन्य प्रक्षेत्रों से नर सूकरों का क्रय किया जाये। जिससे इनब्रीडिंग से बचा जा सकें।

12– 29 अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्याःए–2–1092/दस– 2011–24 (7)/95 दिनांक 25 नवम्बर,2011 के विवरण पत्र XVII के बिन्दु संख्या–17 में निहित प्रविधान एवं निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जाय तथा अनुरक्षण में किये गये कार्यो के आगणन की प्रमाणित छाया प्रति (बिल/वाउचर्स सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाली धनराशि उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुस व्यय की जाये। उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशों के इतर व्यय करना अनियमितता होगी, योज परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली नियम संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

ह0/-
(डा0 चरण सिंह याद
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

संख्याः 555 /प0–1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/2017–18 दिनांकः 24/7/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रक्षेत्र प्रबंधक/प्रक्षेत्र अधीक्षक/प्रभारी, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र (सूकर प्र प्रक्षेत्र हेतु) सैदपुर,ललितपुर/आराजी लाइन्स, वाराणसी /निबलेट बाराबंकी/नी सीतापुर।

2– परियोजना निदेशक, बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र,(सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु), नौगढ़ चन्दौ

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ (सम्भागीय सूकर प्रजनन केन्द्र,सी0डी0एफ0)

4– उपनिदेशक(प्रक्षेत्र)पशुपालन विभाग,महानगर, लखनऊ।

5– संयुक्त सचिव, पशुधन अनुभाग–2,उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ।

6– वित्त नियंत्रक,प्रधान कार्यालय।

7– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाईजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रे कि उक्त दिशा–निर्देशों को विभागीय, बेवसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।

(डा0 चरण सिंह याद
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिशा–निर्देश

कृपया सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डाग्नोस्टिक प्रयोगशाला अलीगढ़ का सुदृढ़ीक (रा0यो0) अन्तर्गत शासन के शासनादेश संख्याः 26/2017/684/सैतीस–2– 2017–1(67)/ दिनांक 15 मई,2017 द्वारा विभिन्न मानक मदों में धनरशि रू0–3.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्र की गई है। जिसके कम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र सं 586/बजट/29(5)/अनु0–83/10/2017–18 दिनांक 18–5–2017 द्वारा विभिन्न मानक मदों उक्त आवंटित धनराशि रू0–3.20 लाख का आवंटन किया जा चुका है का अवलोकन करने का क करें।

उक्त के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते आवंटित धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें:–

1– शासनादेश दिनांक 15 मई,2017 के सापेक्ष वित्त नियंत्रक,पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ आवंटन पत्र दिनांक 18–5–2017 द्वारा दिय गये निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन कि जाये।

2– योजना में आवंटित धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक ही कि जायेगा अधिक व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।

3– विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही उपकरणों/सामग्री/फर्नीचर अ का क्रय किया जाये। अनुमोदित सूची के बाहर से क्रय करने हेतु गठित विषय विशेषज्ञ सम का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4– आवंटित धनराशि का व्यय योजना के निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही कि जाये।

5– योजना के मानक मद–12,42, एवं 43 में स्वीकृत धनराशि का व्यय जिला उद्योग केन्द्र अन्त पंजीकृत फर्मो के माध्यम से ही क्रय करते हुये किया जायेगा।

6– फर्म का विगत वर्ष तक का आयकर रिर्टन जमा होना चाहिए।

7– व्यापार कर विभाग से विगत वर्ष का अदेयता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।

8– किसी भी फर्म के पास इन दोनों प्रमाण–पत्र न होने की दशा में क्रय आदेश कदापि न नि किये जाये।

9– योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक ई–टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित नही कि जायेगें।

10– मानक मद–43 साम्रगी और सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि सूकर पा प्रशिक्षण/डाग्नोस्टिक प्रयोगशाला से संबंधित वस्तुओं/सामग्रियों का क्रय शासन द्व निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किये जाये।

11– मानक मद–18 एवं 19 में आवंटित धनराशि से विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार–प्रसार के सं में निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन करते हुये व्यय किया जाये।

12– मानक मद–21 छात्रवृत्ति और छात्रवेतन मद में आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति और छात्रवेतन का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से ही कि जाये।किसी भी दशा में नकद भुगतान नही किया जायेगा।

13– 29 अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्याःए–2–1092/दस– 2011–(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर,2011 के विवरण पत्र XVII के बिन्दु संख्या–17 में निहित प्रविध

एवं निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जाय तथा अनुरक्षण में किये गये कार्यो की प्रमाणित छाया प्रति (बिल/वाउचर्स सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध करायी

योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाली धनराशि उपरोक्त दिये गये निर्देशों व व्यय की जाये। उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशों के इतर व्यय करना अनियमितता होगी परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

(डा0 चरण सि
निदेश
प्रशासन एवं

संख्याः 5576 /प0–1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/2017–18 दिनांकः 4/7/1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ़। (सूकर प्रशिक्षण केन्द्र/डाग्नोस्टिक प्रय
2– अपर निदेशक,ग्रेड–2,पशुपालन विभाग,अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3– संयुक्त सचिव, पशुधन अनुभाग–2,उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक,प्रधान कार्यालय।
5– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाईजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के कि उक्त दिशा–निर्देशों को विभागीय, बेवसाईट पर डालना सुनिश्चित करें

(डा0 चरण सि
निदेश
प्रशारान एवं